न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 17/2015

अपीलान्ट्स

1. दाखकंवर पत्नि स्व0 किशोरसिंह
2. नारायणसिंह पुत्र स्व0 किशोरसिंह
3. दुर्जनसिंह पुत्र स्व0 किशोरसिंह
4. जेठूकंवर पुत्री स्व0 किशोरसिंह पत्नि कमलसिंह
5. प्रहलादसिंह पुत्र स्व0 किशोरसिंह
6. धर्मेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 किशोरसिंह
7. गुलाबकंवर पत्नि स्व0 सुमेरसिंह
8. रतनसिंह पुत्र स्व0 सुमेरसिंह
9. पदमसिंह पुत्र स्व0 सुमेरसिंह तमाम जातिगण राजपूत निवासीरगण भीमालिया तहसील मारवाड जंक्शन

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. सरकार भूमिधारी तहसीलदार मा0जं0 जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री मोहम्मद शफी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 31.03.2017

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम भीमालिया तहसील मारवाड जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 495 पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन के आदेश दिनांक 26.06.2009 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। तहसीलदार मा0जं0 द्वारा दिनांक 08.06.2016 को रेकर्ड प्रस्तुत किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट के दादा भोपालसिंह की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 113, 1147/1, 1194 की मौजा भीमालिया में आई हुई है, जिस पर आज भी अपीलाण्ट का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट के दादा भोपालसिंह के दो पुत्र थे, जो किशोरसिंह व सुमेरसिंह थे, जो फौत हो चुके है। अपीलाण्ट इनके वारिशान है। उपरोक्त भूमि सिलिंग से प्रभावित थी तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली के आदेश दिनांक 29.05.2009 के तहत सिलिग में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के लिये आदेश पारित किया गया था एवं आदेश में कायम मुकाम को अपना विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर भूमि अधिग्रहित करने के आदेश पारित किये गये थे, किन्तु तहसीलदार मा0जं0 द्वारा उक्त आदेश की पालना में पूरा खाता ही अधिग्रहित कर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। पटवारी हल्का द्वारा

अति० जिला कलेक्टर, पाली

तहसीलदार के आदेश का हवाला देते हुए नामान्तरकरण दायर किया गया है तथा उसी अनुरूप उक्त नामान्तरकरण को तहसीलदार मा0जं0 द्वारा स्वीकृत कर दिया है, जबकि उक्त नामान्तरकरण आदेश पारित करने से पूर्व कायममुकाम की कोई जानकारी प्राप्त नही की गई एवं न ही इस बाबत कोई जांच की गई कि सिलिंग न्यायालय के आदेश के मुताबिक किस खसरा नम्बर की भूमि को अधिग्रहित किया जाना आवश्यक है तथा किस खातेदार के पास कितनी भूमि थी, उस खाते से कितनी भूमि को अधिग्रहित करना है। आदेशानुसार अधिग्रहित भूमि का तकमीना तरमीम खसरा नम्बर आदि का कोई विवरण देकर अलग से जांच नही की गई है, सीधे ही का0मु0 के खाते को बिना सुनवाई किये अधिग्रहित कर सिवायचक घोषित कर दिया है, जो मंसूख होने योग्य है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा जिस आदेश की पालना में नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया है, वह आदेश माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपास्त किया जा चुका है तथा अपीलाण्ट के विरूद्ध सीलिंग प्रकरण को समाप्त किया गया है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण आज की दिनांक में कानूनन प्रभावी नही है। अतः अपील स्वीकार करावे तथा ग्राम भीमालिया तहसील मारवाड जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 495 पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन के आदेश दिनांक 26.06.2009 को अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में जिन खसरा नम्बरान का उल्लेख किया है, वे नामान्तरकरण से मेल नही होते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिलिंग के आदेश की अनुपालना में अधिग्रहित भूमि का नामान्तरकरण दायर किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक भूल नही है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत की, वह प्रमाणित प्रति नही होने से साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नही है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय की पालना में नामान्तरकरण दायर किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित नामान्तरकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम भीमालिया तहसील मारवाड जंक्शन का नामान्तरकरण संख्या 495 पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा जो स्वीकृति आदेश पारित किया गया है, वह आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली के प्रकरण संख्या 171/06 सरकार बनाम भोपालसिंह के का0मु0 में पारित आदेश दिनांक 29.05.2009 की पालना में पारित किया गया है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली द्वारा पारित निर्णय में अपीलाण्ट अप्रार्थीगण को 120 बीघा भूमि धारण करने का अधिकारी मानते हुए 88 बीघा 16 बिस्वा भूमि अधिग्रहण करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश की पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण के जरिये 13.6532 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज किया गया है। इस प्रकार अपीलाण्ट का यह कथन स्वीकार योग्य नही है कि उक्त आदेश की पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण के जरिये अपीलाण्ट की सम्पूर्ण भूमि को अधिग्रहित कर सिवायचक दर्ज किया गया हो। जहां तक प्रश्न माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) के आदेश दिनांक 29.05.2009 को अपास्त करने का है, तो अपीलाण्ट द्वारा उक्त आदेश की फोटोप्रति प्रस्तुत की है, जो

अति० जिला कलक्टर, पाली

साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नही है। इस अपील में मूल रूप से यह देखा जाना है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दायर करने में किसी प्रकार की विधिक भूल या नियमो की पालना नही की गई है अथवा नही ? चूंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णय की पालना में दायर किया गया है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत नामान्तरकरण दायर किया गया है। अतः इसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम भीमालिया तहसील मारवाड जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 495 पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन के आदेश दिनांक 26.06.2009को यथावत रखा जाता है। आदेश की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31.03.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली